तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25-04-24	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे पे तशरीफ रखते है। अभिभाषकगण चुनाव ~~अन्य~~ कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली ... कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली ... कार्यवाही हेतु दिनांक 2-05-24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
2-05-24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र दिनांक 30-9-2021 के तहसीलदार की रिपोर्ट पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

न्यायाल...
...र्थना पत्र

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या 83 / 2022 — पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक 17.10.2022 — कैलाश चन्द गुर्जर(RAS)

बउनवान

दिनेश सोनी पुत्र मोहनलाल जाति स्वर्णकार निवासी गांधीपुरा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

–प्रार्थी

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र श्रवणलाल जाति रेगर निवासी नाडी भावपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
2. रामप्रताप पुत्र श्रवणलाल जाति रेगर निवासी नाडी भावपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़
4. कन्हेया लाल पुत्र भूरा जाति रेगर निवासी नाडी भावपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
5. गुलाबबाई बेवा भूरा जाति रेगर निवासी नाडी भावपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
6. मंजुबाई पुत्री भूरा जाति रेगर निवासी नाडी भावपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
7. राधेश्याम पुत्र भूरा जाति निवासी नाडी भावपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
8. हरिप्रसाद पुत्र भूरा रेगर निवासी नाडी भावपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

–अप्रार्थिगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थित

1. श्री बालालाल बीडा – अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री दिनेश शर्मा – अधिवक्ता अप्रार्थिगण

निर्णय

दिनांकः– 02.05.2024

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी कृषि भूमि ख.स. 660 रकबा 0.32हैक्टर, ख.सं. 669 रकबा 0.70हैक्टर, ख.सं. 670 रकबा 0.04हैक्टर, ख.सं. 671 रकबा 0.26हैक्टर, ख.सं. 672 रकबा 0.22हैक्टर, ख.सं. 673 रकबा 0.22हैक्टर, ख.सं. 674 रकबा 0.23हैक्टर, ख.सं. 675 रकबा 0.03हैक्टर, ख.सं. 677 रकबा 0.04हैक्टर, ख.सं. 678 रकबा 0.01हैक्टर कुल खसरा किता 10 योग रकबा 1.44हैक्टर वाके ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है। प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर शुरू से ही ख.सं. 679,697,696,695 एवं ख.सं. 693 की उत्तरी मेड के सहारे–सहारे आता जाता रहा है तथा कृषि उपकरण, फसल इत्यादि इसी मेड के सहारे–सहारे लाता ले जाता रहा है। उक्त खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थी के आने–जाने के रास्ते को बन्द करने पर आमादा है जबकि प्रार्थी हमेशा से इस रास्ते का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी को हिदायत दी है कि हमारे खेतों में से नहीं निकलेगा और न ही हल कुली ट्रेक्टर इत्यादि कृषि उपकरण निकालेगा। प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौके पर प्रार्थी की कृषि भूमियों पर आने जाने के लिए उपलब्ध नहीं है। यदि अप्रार्थिगण 1 व 2 की खातेदारी कृषि भूमि ख.सं. 679, 697, 696, 695, 693 की उत्तरी मेड के सहारे–सहारे रास्ता नहीं दिया गया तो प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर आने जाने से वंचित हो जायेगा तथा काश्त भी नहीं कर सकेगा जिससे प्रार्थी को आर्थिक नुकसान उठाना पडेगा जिसकी भरपाई प्रार्थी नहीं कर सकता और निवेदन किया कि प्रार्थी को उक्त खसरा संख्याओं की उत्तरी मेड के सहारे–सहारे 15फिट चौडाई में रास्ता दिया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम किया जावे प्रार्थी नियमानुसार राशी अदा करने को तैयार है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थिगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 3 से रिकॉर्ड व मौके की रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 8 की तरफ से जर्ये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी उक्त खसरा संख्याओं की मेर से कभी नहीं निकलते न ही मेर के सहारे कोई रास्ता है। प्रार्थी अपने खेतों की भूमियों पर खसरा संख्या 680 सिवायचक भूमि से होकर बाबा की मजार वाले रोड से आते–जाते थे। प्रार्थी का वही रास्ता मेगा हाईवे से आता जाता है। प्रार्थी अपनी भूमि पर कृषि कार्य नहीं कर ईंट भट्टा उद्योग चला रहा है प्रार्थी लोडिंग ट्रक आने जाने हेतु 15फिट चौडा रास्ता बनाना चाहता है जबकि कृषि यंत्र 10फुट चौडे रास्ते पर आराम से आते–जाते है। प्रार्थी को बाबा की मजार वाली सड़क उपलब्ध है कानूनी प्रावधानों में रास्ता उपलब्ध होने पर नया रास्ता नहीं दिया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार इन्द्रगढ़ से रिकॉर्ड एवं मौके की रिपोर्ट ली गई जिसका अवलोकन करने पर मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट के वर्तमान में प्रार्थी के खसरा नम्बरान पर आने–जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होना बताया खातेदार पूर्व में दरगाह की तरफ जाने वाले रास्ते से आता जाता था लेकिन रेलवे विभाग द्वारा सुरक्षा दीवार बनाये जाने से खातेदार प्रार्थी का रास्ता बन्द हो गया है प्रार्थी खातेदार की कृषि भूमि पर आने जाने हेतु सबसे निकटतम एवं सुगम रास्ता खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 707, 708, 709 व खसरा संख्या 694, 695, 697 के मेड से एवं खसरा संख्या 698 के मध्य से दिया जा सकता है इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होना जाहिर किया।

उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दौहराव करते हुए दौराने बहस कथन किया कि अन्य कोई विकल्प अनुसार प्रार्थी खातेदार को 15 फिट का रास्ता दिया जाना आवश्यक है अन्यथा प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर काश्त करने से वंचित हो जायेगा प्रार्थी को जीवन यापन करना मुश्किल हो जायेगा। अप्रार्थिगण अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रस्तुत जवाब को सही ठहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ईंट उद्योग हेतु सुगम रास्ता बनाये जाने हेतु 15 फिट चौडा रास्ता चाहता है जो उचित नहीं है।

हमारे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओं के अभिवचनों को ध्यान में रखते हुए एवं पत्रावली रिपोर्ट तहसीलदार का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने एवं राजस्थान सरकार राजस्व(ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 30.09.2021 के अनुसार रास्ता या पहुंच मार्ग एक

उपखण्ड अधिकारी

आवश्यक सुखाधिकार है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के प्रावधानो के अन्तर्गत खातेदार द्वारा अन्य खातेदारों की जोत से पहुंच मार्ग नियमानुसार दिये जाने के प्रावधानों के अनुसार रास्ते का विकल्प नहीं होने की स्थिति में नया पहुंच मार्ग दिया जा सकता है। वर्तमान में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ख.सं. 660, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 677, 678 कुल किता 10 योग रकबा 1.44 हैक्टर ग्राम लाखेरी में पहुंच मार्ग रेलवे विभाग द्वारा सुरक्षा दीवार बनाकर बन्द कर दिये जाने से एवं अन्य कोई पहुंच मार्ग का विकल्प नहीं होने का तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से अवगत कराया गया है साथ ही निकटतम दूरी का रास्ते का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिती को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की अराजी खसरा संख्या 709, 708, 707 एवं खसरा संख्या 694, 695, 697 के मध्य मेड के सहारे–सहारे दोनो तरफ तथा अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 8 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 698 के मध्य से होता हुआ प्रार्थी खातेदार के खसरा संख्या 669 की मेड तक सीधा रास्ता 4 मीटर की चौडाई में होगा उक्त रास्ता मेगा हाईवे के सहारे स्थित खसरा संख्या 709 व 694 के मध्य मेड से शुरू होकर खसरा संख्या 708, 695, खसरा संख्या 707 व 697 की मध्य मेड से होकर खसरा संख्या 698 के मध्य सीधी दिशा में खसरा संख्या 669 की मेर तक होगा। उक्त प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्यायी से दर्शाया गया है निर्णय का भाग रहेगा। रास्ते में आने वाली भूमियों के रकबे का वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर से दुगना प्रतिकर प्रार्थी अप्रार्थिगण को अदा करने पर रास्ता 4 मीटर की चौडाई में बहाल किये जाने का आदेश दिये जाते है। तहसीलदार व हल्का पटवारी की रिपोर्ट के मुताबिक रास्ते में अवाप्त की जाने वाली कृषि भूमि का रकबा एवं वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 से उपरोक्त गणना करने पर खसरा संख्या 709 में 0.0052है0, खसरा संख्या 694 में 0.0052है0, खसरा संख्या 695 में 0.0044है0, खसरा संख्या 708 में 0.0044है0, खसरा संख्या 707 में 0.0044है0 व खसरा संख्या 697 में 0.0044है0 कुल किता 6 कुल प्रभावति रकबा 0.028है0 का अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को प्रतिकर राशी 2,17,724 रुपये एवं खसरा संख्या 698 में प्रभावित रकबा 0.012है0 का अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 8 की प्रतिकर राशी 93308 रुपये प्रार्थी द्वारा जर्ये डी0डी0 तहसीलदार इन्द्रगढ़ के समक्ष हिस्से अनुसार अप्रार्थिगण को अदा करने पर तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा रास्ते के उपयोग में ली गई कृषि भूमि का रकबा मूल खसरों से कम करते हुए रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि का राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में पृथक से अभिलिखित की जावे उक्त भूमि का उपयोग सार्वजनिक होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02–05–2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)